प्रेषक,

उपायुक्त, गुरूग्राम।

सेवा में

M/s Krisumi Corporation Private Limited.,
3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53,
Gurugram, Haryana-122002.

क्रमांक 107 /एम0बी0 दिनांक 13/9/2023

विषय.— **Report of Tehsildar through office of D.C. that the land of project does not fall under MOEF (Aravalli) as per notification S.O. 319(E) dated 7th May 1992.**

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार, हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:—

तहसीलदार, मानेसर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमाक 159/आर0सी0 दिनाक 11.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकार्ड मौजा सिही, तहसील मानेसर, जिला गुरूग्राम प्रार्थी M/s Krisumi Corporation Private Limited., 3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122002 की आराजी भूमि की अरावली नोटिफिकेशन एरिया से सम्बन्धित रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार बिन्दूवार निम्न है:—

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित कीला नं0 2//12/3(0–8), 12/4(0–12) कीता 2 रकबा 1 कनाल 0 मरला दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं आती है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी (ता हाल) तक कभी भी अराजी मुतनाजा भूमि की किस्म गैर मुमकीन पहाड़, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड या रून्द्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा भूमि की किस्म "चाही" है।
4. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह, पंचायत देह, नगर पालिका, नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी मुतनाजा भूमि का किसी माननीय न्यायालय में केस बाबत जमाबन्दी के खाना कैफियत में कोई इन्द्राज नहीं है अर्थात उपरोक्त अराजी मुतनाजा पर कोई केस नहीं है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आती है।
7. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि में से उपरोक्त कीला नम्बरान पर कोई रहन, आड रहन/धारा 4 6 व अवार्ड आदि दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई भूमि (जमाबन्दी साल 2019—2020 खेवट नम्बर/खाता नम्बर 486/502, 488/504 इन्तकाल नम्बर 3636 त0म0 की रूह से) मु0/कीला नम्बर 2//12/3(0–8), 2//12/4(0–12) कीता 2 रकबा 1 कनाल 0 मरला (सालम) की मैसर्ज क्रिसुमी कारपोरेशन प्रा0 लि0 रजिस्ट्रर्ड आफिस 3rd फलोर, सैन्टर प्लाजा माल सैक्टर—53, गुरूग्राम (हरियाणा) मालिक व काबिज हैं।

इसके अतिरिक्त **नायब तहसीलदार, हरसरू** ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 507/आर0सी0 दिनाक 14.08.2023 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय मे प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकार्ड मौजा हरसरू, उप तहसील हरसरू जिला गुरूग्राम प्रार्थी M/s Krisumi Corporation Private Limited., 3rd Floor, Central Plaza Mall, Golf Course Road, Sector-53, Gurugram, Haryana-122002 की अराजी भूमि की अरावली नोटिफिकेशन एरिया से सम्बन्धित रिपोर्ट हल्का पटवारी अनुसार बिन्दूवार निम्न प्रकार है:—

any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.

F) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.

G) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with

H) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/ permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department

I) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03 2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05 2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To Above Mentioned Conditions

अतः तहसीलदार, मानेसर, नायब तहसीलदार हरसरू व उप वन संरक्षक, गुरूग्राम की रिपोर्ट अनुसार आपको Village Sihi, Tehsil Manesar & Village Harsaru, Sub Tehsil Harsaru, District Gurugram की उक्त भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी।

कृते: उपायुक्त, गुरूग्राम